राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ोठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

ुकदमा नम्बर– 203/2022

GCMS No. 2022/566

1. छगन पुत्र भागू
2. बनवारी पुत्र भागू
3. अंगूरी देवी पत्नी बोदराज
4. प्रहलाद पुत्र बोदराज
5. मामराज पुत्र भागू
6. रतन पुत्र भागू
7. रामू पुत्र भागू
8. श्रवण पुत्र भागू

जाति मीणा निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद जयपुर, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादी

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: दिनांक : 02–02–2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 293 के ख.नं. 1625 रकबा 1.55 है., ख.नं. 1627 रकबा 0.26 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. के संयुक्त खातेदार काश्तकार वादी सं. 1, 2 व 5 लगा. 8 व बोदूराज पुत्र भागू दर्ज रिकार्ड है। बोदराज फौत हो गया जिसके वादी सं. 3 व 4 वारिश हैं जो उसके हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के रिकार्ड राजस्व में वादीगण की जाति राणा दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि वादीगण की जाति मीणा है। वादीगण की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण की भारी हकतलफी है और वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वादीगण के सभी लोक दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेजात में जाति मीणा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में जाति गलत दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और भूमि पर ऋण आदि भी नहीं मिल पाता है। इस कारण वादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज जाति राणा को हजफ करवाकर जाति मीणा दर्ज करने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 293 के ख.नं. 1625 रकबा 1.55 है., ख.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

नं. 1627 रकबा 0.26 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में वादी सं. 1 व 2, 5 लगा. 8 व वादी सं. 3 व 4 के पति व पिता बोदराज की जाति राणा को हजफ कर उसके स्थान पर जाति मीणा दर्ज करने की घोषणा की जाकर रिकार्ड राजस्व को दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/1889 दिनांक 23.11.2022 से पटवारी हल्का कांकरिया की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2012–13, संवत् 2018–19, संवत् 2022–25, फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 293 ग्राम कांकरिया पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र छगन लाल (पी.डब्ल्यू.–1), रघुवीर सिंह (पी.डब्ल्यू.–2) व लक्ष्मीनारायण (पी.डब्ल्यू.–3) के पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का कांकरिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण की जाति राणा के स्थान पर मीणा किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः **ग्राम कांकरिया** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 293 में दर्ज खसरा नंबर 1625, 1627 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में वादी सं. 1 व 2, 5 लगायत 8 व वादी सं. 3 व 4 के पति व पिता बोदराज की जाति **''राणा''** के स्थान पर **''मीणा''** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

सीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

छगन आदि

ब–ना–म

राजस्थान सरकार

वा बाबत **घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती**

कदमा नम्बर :– **203/2022**

र्णय दिनांक :– **02–02–2023**

वादीगण की ओर से **श्री गिरधारीलाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से ... ी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के ाए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 293 में दर्ज सरा नंबर 1625, 1627 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में वादी सं. 1 व 2, 5 लगायत 8 वादी सं. 3 व 4 के पति व पिता बोदराज की जाति "राणा" के स्थान पर "मीणा" दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

झुंझुनूं राज. स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं.

छगनलाल मामराज बनवारीलाल